30 DEC 2021 | #346

Paymanager Info rajsevak.com

रोजाना एक प्रश्न

श्री लीलाराम जी प्रधानाचार्य
राउमावि मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर
नि. दोहडा (किशन गढ बास) अलवर

आज का टॉपिक

शाला में अध्ययनरत छात्र के नाम, उपनाम व जन्म तिथि में परिवर्तन की प्रक्रिया

शाला में अध्ययनरत छात्र के नाम, उपनाम व जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनावे :

✅ नाम/ उपनाम में परिवर्तन की प्रक्रिया

- 1. केवल अध्ययनरत छात्र, छात्रा के प्रकरण निर्धारित प्रक्रिया से उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
- 2. छात्र, छात्रा अथवा अभिभावक के आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
  - अधिकृत न्यायालय का मूल प्रमाण पत्र / शपथ पत्र जिसमें छात्र, पिता का नाम, वर्तमान शाला में अध्यनरत कक्षा का विवरण प्रमाणित हो।
  - स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन।
  - अभिभावक से लिखित घोषणा की छात्र के नाम परिवर्तन से उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
  - मूल प्रवेश आवेदन पत्र की प्रति।
  - पूर्व विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
  - छात्र से संबंधित स्कॉलर रजिस्टर की प्रतिलिपि।

संस्था प्रधान की टिप्पणी इसके बाद संपूर्ण दस्तावेज संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भिजवाने होंगे संबंधित कार्यालय द्वारा जांच उपरांत आदेश जारी किए जाएंगे संस्था प्रधान आदेश संख्या ,दिनांक अंकित कर नाम / उपनाम में संशोधन कर प्रमाणित कर सकेंगे

✅ अध्ययनरत छात्र के जन्म तिथि परिवर्तन के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए

- 1. छात्र अध्ययनरत हो।
- 2. माता-पिता /अभिभावक के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।
  - मूल प्रवेश आवेदन पत्र की प्रति
  - ग्राम पंचायत / नगर पालिका से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र की प्रति
  - माता-पिता का शपथ पत्र जिसमें जीवित, मृत संतानों की जन्मतिथि का भी उल्लेख हो।
  - दो पड़ोसियों /रिश्तेदारों के शपथ पत्र।
  - जन्म कुंडली
  - अध्ययनरत विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर पृष्ठ की प्रति
  - पूर्व विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रति/ प्रवेश आवेदन की प्रति
- अग्रेषित करने वाले संस्था प्रधान की टिप्पणी के साथ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रकरण भेजा जाएगा। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रकरण की जांच कर वस्तु स्थिति से संतुष्ट होने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जन्म तिथि परिवर्तन के आदेश जारी करेंगे।
- आदेश की प्रति स्कॉलर रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ पर चस्पा की जाएगी।
- आदेश संख्या, दिनांक, स्कॉलर पृष्ठ पर लिखकर संशोधन अंकित किया जाएगा एवं संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

Paymanager Info

NOTE उक्त सामग्री सामान्य जानकारी हेतु साथियों को उपलब्ध कराई गई है, जो राज्यादेशों और अन्य कारणों से असंगत हो सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यादेश के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जावे, **Paymanager Info** समूह के सदस्य और **rajsevak.com** किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होंगे।